

18/11/24

पत्रावली पेश हुई।

बकील वादी एवं वादीगण
अनुपस्थित। त्रिंशे रुक-रुक कर
तीन बार आपस में झिझक गई जो जो
दलील। डा. वादपत्र अन्तर्गत धारा
53, 188, 183 का RTA का मदम पैरवी
एवं मदम दलील में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फिलहाल शुका बंधु
के नम्बर से कम है।

18/11/24
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) गंगापुर